सार्वजनिक सूचना

वन विभाग हिमाचल प्रदेश

वन वृत बिलासपुर

विज्ञापन संख्या 01/2021-22 **दिनांक 02-07-2021**

बिलासपुर वन वृत में अनुबंध आधार पर वन रक्षकों की सीधी भर्ती-2021

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के बिलासपुर वन वृत के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर वन रक्षकों के कुल 30 (अचयन/Non-Selection) पदों के लिये सीधी भर्ती हेतु **केवल ऑनलाइन आवेदन** विभाग की वैबसाईट http://forp.hp.gov.in/ पर आमन्त्रित किए जाते हैं। अनुबन्ध के आधार पर वन रक्षकों की भर्ती सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर की जा रही है। यह भर्ती खुली है और वन वृत स्तर पर की जा रही है। आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय / उप-रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए ।

अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त वन रक्षकों को 5910+2000 ग्रेड पे+150 प्रतिशत बढ़ा हुआ ग्रेड़ पे का मासिक वेतन दिया जाएगा । चयनित उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसका वर्षानुवर्ष नवीनीकरण / अवधि विस्तार वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण सम्बंन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने उपरान्त ही किया जाएगा । यदि अनुबन्ध में एक वर्ष या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/ वर्षों के लिए अनुबंध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक बढ़ौतरी देने का प्रावधान है। वन रक्षक का पद वृत स्तरीय संवर्ग का है। नवनियुक्त वन रक्षकों की पहली तैनाती जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में पद उपलब्धता के आधार पर की जा सकती है । संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर उसी वृत में स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर से ऐसा करना अपेक्षित हो।

यदि आवेदक वन विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्तें एवं योग्यता पूरी करता हो तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के बाद विभाग की वैबसाईट http://forp.hp.gov.in/ पर 06-07-2021 से 19-08-2021 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में उनकी व्यक्तिगत ई-मेल आई डी और मोबाईल नम्बर दर्ज करना जरूरी है । यदि कोई आवेदक ऑफलाइन आवेदन करता है तो उसका आवेदन बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा और वह इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र प्राप्ति की **अन्तिम तिथि 19-08-2021** है । जो पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं व भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ही भरे जाएंगे जिसके लिये प्रात्र उम्मीदवारों के नामांकन भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आमंत्रित किए जा रहे हैं। वन वृत बिलासपुर में अनुबन्ध आधार पर वन रक्षकों के भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक	गृह रक्षक	आईआरडीपी	कुल योग
1	सामान्य	10	2	3	0	15
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3	0	0	0	3
3	अनुसूचित जाति	4	1	0	1	6
4	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
5	अन्य पिछडा वर्ग	3	1	1	0	5
	योग:-	**21**	**4**	**4**	**1**	**30**

यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो

पद स्वयत: रूप से अनारक्षित माना जाएगा और अनारक्षित श्रेणी के साधारण उम्मीदवार से भरा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी के उम्मीदवार के लिए अन्य शर्तें एवं नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PER(AP)-C-B(12)-1/2019 dated 11.06.2019 द्वारा जारी किए गए हैं के अनुसार पूर्ण करनी होगी। यदि बीपीएल श्रेणी का आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद के लिए आवेदन करता है तो उसे खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित बीपीएल प्रमाण पत्र व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता की शर्तें एवं योग्यताएं :-

(क) अभ्यर्थी भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।

(ख) अनुबंध के आधार पर वन रक्षक की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिण योग्यता 10+2 कक्षा व इसके समकक्ष परीक्षा पास है। आवेदक / अभ्यर्थी वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/ होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल / संस्थान से दसवीं और बाहरवीं की परीक्षा उतीर्ण की हो। यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ग) अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और उसके पास आवेदन करने से पहले वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए । जिस आवेदक की पंजीकरण की समय अवधि आवेदन करने से पहले समाप्त हो गई हो उसके आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा और वह इस पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) आवेदक की आयु **1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(नोट:- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी)

न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड :-

क्रम संख्या	**मापदण्ड**	**पुरूष**	**महिला**
1	ऊंचाई (कद)	165 सैंटीमीटर	150 सैंटीमिटर
2	छाती (क) बिना फुलाए	79 सैंटीमीटर	74 सैंटीमीटर
	(ख) फुलाकर	84 सैंटीमीटर	79 सैंटीमीटर

(नोट:- अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऊंचाई (कद) में 5 सैंटीमिटर और छाती के माप में 4 सैंटीमिटर की छूट होगी)

भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन परीक्षण विभिन्न चरणों में होगें।

क्रमांक संख्या	परीक्षण	निर्धारित अंक
1	शारीरिक दक्षता	निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण न्यूनतम मापदंड के साथ पास करना अनिवार्य होगा, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।
2	लिखित परीक्षा	85
3	प्रमाण पत्रों का मुल्यांकन	15
	कुल योग:-	**100**

1 शारीरिक दक्षता परीक्षण :- वे उम्मीदवार जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हों उनका निर्धारित दक्षता परीक्षण निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा ।

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए:-

क्रमांक संख्या	मद	न्यूनतम मापदंड
1	100 मीटर की दौड़	14 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा)
2	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा)
3	ऊंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे)
4	लम्बी कूद	4 मीटर (अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे)

महिला अभ्यर्थियों के लिए:-

क्रमांक संख्या	मद	न्यूनतम मापदंड
1	100 मीटर की दौड़	17 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा)
2	800 मीटर की दौड़	4 मिनट 15 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा)
3	ऊंची कूद	1 मीटर (अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे)
4	लम्बी कूद	3 मीटर (अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे)

2 वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरान्त सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वन वृतों में एक ही दिन संचालित की जाएगी ।

3 लिखित परीक्षा में 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हेतु 75 मिनट का समय दिया जाएगा । ये प्रश्न दसवीं कक्षा के स्तर या इसके समकक्ष मानक का होगा और इसमें भाषा सामान्य विज्ञान व ज्ञान, प्रदेश के प्रति जानकारी तथा सामान्य जंगलों के प्रति जागरूकता, वातावरण एवं वन्य प्राणी, तर्क एवं योग्यता से सम्बंन्धित प्रश्न शामिल होंगे । उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतु प्रार्थी को नीली/ काली स्याही का वॉल पैन व लिखने के लिये गत्ता लाना अनिवार्य होगा ।

4 मूल्यांकन: - उपरोक्त पदों के लिए योग्यता सूची लिखित परीक्षा के अंको व नीचे दर्शाए गए प्रमाण पत्रों , जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी.बी) बी(15)-5/2014 दिनांक 17-04-2017 व 25-04-2017 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्रों के आधार पर अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1	भर्ती एवं प्रोन्नति नियम में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता	अधिकतम 2.5 अंक
2	यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे क्षेत्र या पंचायत से सम्बंन्धित	1 अंक
3	भूमिहीन कुटुम्ब / एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बंन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर	1 अंक
4	बेरोजगार प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के परिवार का कोई भी सदस्य	1 अंक

	किसी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं है।	
5	40 प्रतिशत विकृति / नि:शक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन ।	1 अंक *
6	एन0एस0एस0/ एन0सी0सी0/ भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगता में पदक विजेता	1 अंक
7	बी0पी0एल0 परिवार जिनकी वार्षिक आय 40000/- रूपये से कम या सरकार द्वारा समय-समय पर तय	2 अंक
8	विधवा/ तलाकशुदा / जरूरत मंद/ एकल महिला	1 अंक
9	एकल पुत्री/ अनाथ	1 अंक
10	सम्बंन्धित क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण जो कि मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय / संस्थान से हो।	1 अंक
11	सम्बंन्धित क्षेत्र में सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थान से कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 0.5 अंक)	अधिकतम 2.5 अंक
	(*क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशन आरक्षण से छूट है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दु के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा ।)	

आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूलरूप में अपने साथ अवश्य लाएं:-

i. दसवीं एवं 10+2 कक्षा पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ।

ii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी के उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PER(AP)-C-B(12)-1/2019 dated 11.06.2019 द्वारा जारी की गई शर्तों एवं नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

iii. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग व आई0आर0डी0पी0/अन्त्योदय का नवीनतम प्रमाण पत्र ।

iv. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र ।

v. पिछडा क्षेत्र या पंचायत, भूमिहीन परिवार / ऐसा परिवार जिनकी भूमि 1 हैक्टेयर से कम हो, बेरोजगार प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं है, बी0पी0एल0 परिवार जिनकी वार्षिक आय 40000/- रूपये से कम या सरकार द्वारा समय-समय पर तय, विधवा/ तलाकशुदा / जरूरत मंद/ एकल महिला, एकल पुत्री/ अनाथ, सम्बंन्धित क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण जो कि मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय / संस्थान से हो, सम्बंन्धित क्षेत्र में सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थान से कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ।

vi. यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीद्वारी रद्द समझी जाएगी ।

vii. सक्षम अधिकारी बिना कोई कारण बताए / बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार रखता है ।

viii. अनुबंध पर नियुक्त अभ्यर्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितीकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ix. जब अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू बुलाए जाएंगे उस समय वह नवीनतम पासपोर्ट साईज की 2 फोटो अपने साथ अवश्य लाएं।

x. अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र दस्तावेज जांच समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना होगा ।

आवेदक आवेदन करने से पूर्व उपरोक्त सभी शर्तों, पूर्ण विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का विभाग की वैबसाइट पर अवलोकन करें।

भर्ती की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के सभी वन एवं वन्य प्राणी वृतों में हो रही है अत: आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने नजदीकी वन/ वन्य प्राणी के केवल एक ही वृत में आवेदन करें ।

अन्य जानकारी के लिए मुख्य अरण्यपाल वन वृत बिलासपुर के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01978-222372 पर किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य अरण्यपाल,
वन वृत बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश